न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 105 / 2023

GCMS No. : 2023/245

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. अमानाराम पुत्र वसनाराम मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराणा स्टोर बस स्टेण्ड जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली (दुकान मालिक) 2. श्री मदनलाल जैन पुत्र श्री मोहनलाल मैसर्स महावीर ट्रेडर्स 2 जी 08 पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अरिहन्त चौपडा उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.7.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.04.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड जैतपुर, तहसील रोहट, जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम अमानाराम पुत्र वसनाराम बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान 08–10 पैकेट 500 ग्राम घी पैक डेयरी सागर का एक कार्टून में रखा पाया जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी पैक डेयरी सागर का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया और जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को यह बता दिया की घी पैक डेयरी सागर का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में घी पैक डेयरी सागर के 500 ग्राम के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 800 / – रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी पैक डेयरी सागर के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1794 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से वक्त नमुना लेते समय खरीद बिल पेश किया किया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार संयोजित किया, अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी पैक डेयरी सागर का नमुना संख्या आर–1794 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1069/एक्ट/2023/1110 दिनांक 05.05.2023 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी पैक डेयरी सागर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किसी अन्य सैम्पल को प्रार्थी का सैम्पल बताकर गलत तरीके से एफएसएल भिजवाया गया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध तरीके से की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व रंजिशवंश प्रकरण बनाया गया जो निराधार एवं खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के विरूद्व होने से काबिल खारिज योग्य है।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को अप्रार्थी की फर्म से घी पैक डेयरी सागर वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1794 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी पैक डेयरी सागर का नमुना कोड संख्या आर–1794 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी पैक डेयरी सागर का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है, जो विधिवत एवं नियमानुसार है अप्रार्थीगण द्वारा घी पैक डेयरी सागर अवमानक स्तर का विनिमय/विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी पैक डेयरी सागर का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थी पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 20000/– बीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 24/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली